समाहरणालय, जमुई
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय स0वि0प0 श्री संजीव कुमार सिंह से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जमुई जिला में आनेवाले महाविद्यालयों में प्रायोगिक सामाग्रियों/उपस्करों के आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 21.07.2019 को अपराह्न 12:00 बजे तंक प्रायोगिक उपकरणों/उपस्करों के विक्रेताओं/ प्रतिष्ठ संस्थानों से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती हैं, प्राप्त निविदा को दिनांक 21.07.2019 को ही पूर्वाह्ण 4:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष उपविकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। क्रय की जानेवाली सामाग्रियों की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, जमुई से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 19.07.2019 को पूर्वाह्न 5:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। अथवा जिले के बेबसाईट https://jamui.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें।

1. मुहरबंद निविदा दो भागों में रहेंगी। 1. तकनीकी निविदा 2. वित्तीय निविदा, दोनों निविदा अलग–अलग लिफाफे में रहेगी एवं दोनो निविदा को एक बड़े लिफाफे में डाल कर देना होगा। जिसपे बड़े अक्षरो में ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत – प्रायोगिक उपकरणों/उपस्करों हेतु निविदा'' लिखना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा में रुपए पचास हजार मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी,जमुई के पद नाम से देय एवं जमुई में भुगतान योग्य हो, अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र "Shop & Establishment" की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को जी.एस.टी में निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को लगातार तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19) का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की छाया प्रती संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता का Turn over पिछले तीन वित्तीय वर्ष में औसतन 1.00 (एक करोड़) रुपये का होना अनिवार्य होगा। (सत्यापन के लिए चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षण Profit – Loss और Balance sheet तीन वर्षो का Turn over का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)
7. सरकारी संस्थानों में प्रायोगिक उपकरण/उपस्कर सामग्रियों की आपूर्त्ति करने वाले संस्थानों को निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।
8. निविदा में भाग लेनेवाले फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र मूल प्रति में देना होगा।
10. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें–

11. वित्तीय निविदा में उपलब्ध/अनुसंशित सूची के अनुसार सभी सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें–

12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
14. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर आदेशित महाविद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगा।
15. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हे निविदा की सभी शर्त्ते मंजूर है।
16. यह निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।
17. विवाद की स्थिति में न्यायालय, जमुई का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
18. बिना कारण बताए निविदा को आशिंक/पूर्णताः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
19. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

जिला योजना पदाधिकारी
जमुई।
21/6/19